भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1996

उत्तर देने की तारीखः 19/12/2022

ऑनलाइन मोड माध्यम से प्राप्त डिग्रियों का दर्जा

†1996. **श्री बी. मणिक्कम टैगोर :**
श्री बैन्नी बेहननः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मान्यता प्राप्त संस्थानों से ऑनलाइन लर्निंग मोड के माध्यम से प्राप्त डिग्रियों को पारंपरिक माध्यम से प्रदान की जाने वाली डिग्रियों के समान माना जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस संबंध में यूजीसी के विनियमों के अनुसार यह निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कुछ ऐसे राज्य हैं जो अभी भी दूरस्थ शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा के समान नहीं मानते हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने की संभावना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 22 में निर्दिष्ट किया गया है कि 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्री विनिर्देश, 2014 संबंधी अधिसूचना के अनुरूप स्नातक

और स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री और इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए स्नातकोत्तर डिप्लोमा को पारंपरिक पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री के संगत अवार्ड के समतुल्य माना जाएगा।' यह विनियम https://deb.ugc.ac.in/Uploads/20200906.pdf. पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): यूजीसी ने सूचित किया है कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ड़): यूजीसी ने विनियम के उपर्युक्त प्रावधान के बारे में हितधारकों को सूचित करते हुए दिनांक 02 सितंबर 2022 को सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसके अलावा, यूजीसी ने सूचित किया है कि, यूजीसी के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के नोटिस में लाई गई सभी शिकायतों को उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकरण के समक्ष उठाया जाता है।

*****